फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

छीतरमल बनाम रामस्वरूप व सरकार वगैरह

मुकदमा नम्बर :– 15/2019

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	6/6/24	व. वादी उप. अवलोकन रिपोर्ट हेतु पत्रावली दिनांक 24/6/24 को पेश हो।	
	24/6/24	व. वादी उप. पत्रावली तहसील अवलोकन रिपोर्ट हेतु दिनांक 19/7/24 को पेश हो।	
	19/7/24	व. वादी उप. तहसीलदार चौमूं से रिपोर्ट प्राप्त हुई को शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी खातेदार कोई नहीं होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाकर स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर उप नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:52:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:रतन कौर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–15/2019

उनवान

छीतरमल पुत्र हीरापुरी, जाति गुसाई, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर, (मृतक दौराने दावा)

1/1. बजरंग पुत्र स्व. छीतर
1/2. बनवारी पुत्र स्व. छीतर
1/3. राजू पुत्र स्व. छीतर
1/4. बिमला देवी पुत्री स्व. छीतर
1/5. बनारसी पुत्री स्व. छीतर
1/6. भगवती पुत्री स्व. छीतर
1/7. मनोहरी देवी पत्नी स्व. छीतर

समस्त जाति स्वामी, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादी–

वाद बाबत् घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 रा0 टि0 एक्ट 1955
निर्णय

दिनांक :– **19.07.2024**

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादी अपनी पैतृक भूमियों पर काबिज काश्त होकर अपने परिवार का पालन पोषण करता आया है जो कि ग्राम खेजरोली, पटवार हल्का खेजरोली–ए, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में हाल खसरा नम्बर 4300 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4301 रकबा 0.82 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4302 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4303 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4304 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4315/8401 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 6 का कुल रकबा 1.30 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर वादी काबिज होकर अपना जीवन बसर कर रहा है। उक्त वर्णित खसरा नम्बर ही उक्त वाद पत्र में विवादग्रस्त है। उक्त हाल खसरा नम्बर 4300 रकबा 0.01 हैक्टेयर का साबिक खसरा नम्बर 2034 रकबा 0.01 हैक्टेयर, हाल खसरा नम्बर 4301 रकबा 0.82 हैक्टेयर का साबिक खसरा नम्बर 2030 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2031 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2033 रकबा 0.02 हैक्टेयर, हाल खसरा नम्बर 4302 रकबा 0.03 हैक्टेयर का साबिक खसरा नम्बर 2029 रकबा 0.03 हैक्टेयर, हाल खसरा नम्बर 4303 रकबा 0.23 हैक्टेयर के साबिक खसरा नम्बर 2029 रकबा 0.23 हैक्टेयर, हाल खसरा नम्बर 4304 रकबा 0.16 हैक्टेयर के साबिक खसरा नम्बर 2029 रकबा [illegible] हैक्टेयर, हाल खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:52:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

4315/8401 रकबा 0.04 हैक्टेयर के साबिक खसरा नम्बर 2032 रकबा 0.04 हैक्टेयर से हाल खसरा नम्बरान से नये बने है। वादी एवं उनके पहले वादी के पूर्वज पैतृक रुप से काबिज काश्त होकर खेती कर अपना व अपने परिवार का पालना पोषण कर रहे थे तथा वादी आज भी कर रहा है। हाल खसरा नम्बर के साबिक नम्बर 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034 की जमाबन्दी सम्वत् 2038 से 2041 तक खातेदारी वादी के नाम दर्ज थी लेकिन उक्त भूमियों के खाता में 2029, 2030 पर मन्दिर माफी का नोट लगा दिया जबकि प्रारम्भ से ही उक्त भूमियों कभी मन्दिर की नहीं रही बल्कि साबिक खाता संख्या 305 ग्राम खेजरोली के एक ब्राम्हण व्यक्ति छीतर पुत्र मांगीलाल ब्राम्हण के नाम की जो खातेदारी साबिक खसरा नम्बर 2510 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि जिसकी किस्म बारानी थी वह मन्दिर मूर्ति श्री महादेव जी की रही है, ना की जो इस वाद पत्र में भूमियां विवादग्रस्त रही है। उक्त विवादित कृषि भूमियां ही वादी हेतु कृषि कार्य के लिए ऋण हेतु जमाबन्दी दिनांक 25.02.2019 को निकलवाई तो भूमियों का राजस्व रिकॉर्ड मन्दिर मूर्ति महादेव के नाम से अंकित था। उक्त रिकॉर्ड देखने के उपरान्त वादी ने पटवारी महोदय से कहा कि यदि राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि हुई है तो वह साबिक रिकॉर्ड निकलवा ले तथा तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करें जिसके उपरान्त वादी द्वारा सम्वत् 2030 से 2041 तक का रिकॉर्ड निकलवाने पर वादी तो उसने तहसीलदार महोदय, चौमूं से निवेदन किया तो तहसीलदार महोदय चौमूं द्वारा उक्त सम्बन्ध में कहा कि उक्त दुरुस्ती करने का क्षेत्राधिकार मुझे नही होकर सक्षम न्यायालय में पेश किया जावें जिसके कारण उक्त प्रकरण उदित होकर आज दिवसक तक लम्बित है। विवादित भूमियां वादी की पैतृक भूमियां नही है तथा जिस पर वादी पुश्तैनी रुप से काबिज काश्त है तथा सम्वत् 2038 से 2041 तक का राजस्व रिकॉर्ड भी वादी के नाम से अंकित है जिससे भी स्पष्ट है कि उक्त भूमियों मन्दिर की ना होकर वादी की पैतृक भूमियां है जिनकी घोषणा वादी के हक में होनी आवश्यक है।

वादीगण ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादी बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती का डिक्री फरमाया जाकर विवादित भूमियां ग्राम खेजरोली, पटवार हल्का खेजरोली–ए, तहसील चौमूं जिला जयपुर में हाल खसरा नम्बर 4300 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4301 रकबा 0.82 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4302 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4303 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4304 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4315/8401 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 6 का कुल रकबा 1.30 हैक्टेयर की घोषणा वादी के नाम की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] दुरुस्त किया जावें। प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादी [illegible] विवादित कृषि भूमियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करें [illegible] ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन के जरिये करवायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:52:40 IST
Reason: Self Attested

Scanned with OKEN Scanner

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादी को जरिये सम्मन के तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार चौमूं से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार चौमूं ने अपनी रिपोर्ट में कथन किया कि उक्त विवादित भूमि भू–प्रबन्धक विभाग मिसल बन्दोबस्त खाता संख्या 1665 में एवं वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में मन्दिर मूर्ति श्री महादेव जी वाके देह हिस्सा पूर्ण खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। चूंकि मन्दिर शाश्वत नाबालिक है तथा विवादग्रस्त आराजीयात मन्दिर माफी व राजकीय प्रतिबन्धित भूमि है। उक्त भूमि माफी मन्दिर की भूमि है, जिसको खुर्द बुर्द करना एवं किसी अन्य को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना नियमों के विरुद्ध होने से वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादी का वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0)चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:52:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई
(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –: रतन कौर (R.A.S.)

उनवान

छीतरमल पुत्र हीरापुरी, जाति गुसाई, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर, (मृतक दौराने दावा)
1/1. बजरंग पुत्र स्व. छीतर
1/2. बनवारी पुत्र स्व. छीतर
1/3. राजू पुत्र स्व. छीतर
1/4. बिमला देवी पुत्री स्व. छीतर
1/5. बनारसी पुत्री स्व. छीतर
1/6. भगवती पुत्री स्व. छीतर
1/7. मनोहरी देवी पत्नी स्व. छीतर
समस्त जाति स्वामी, निवासी ग्राम ख़ेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादी–

वाद बाबत् घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 रा0 टि0 एक्ट 1955

मुकदमा नं0:–15/2019 निर्णय दिनांकः– 19.07.2024

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू रतन कौर आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

भूमि विवादग्रस्त माफी मन्दिर की भूमि है, जिसको खुर्द बुर्द करना एवं किसी अन्य को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना नियमों के विरुद्ध होने से वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख ...4 को जारी किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:52:40 IST
Reason: SelfAttested

मोहर

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलेक्टर (फा0ट्रै0)चौमूँ

Scanned with OKEN Scanner

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिये स्टाम्प	2	1.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	1	3.प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर कह फीस		4.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.कमिशनर की फीस	
6.कमिशनर की फीस		6.आदेशिका की तामिल	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड	3	जोड	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.08.29 15:52:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner